

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य प्रोफाइल
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य प्रोफाइल					
क. सामान्य डाटा					
क्र.सं.	विवरण				आंकड़े
1	क्षेत्र				44,212 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या				
	क	2001 की जनगणना के अनुसार			2.11 करोड़
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार			2.54 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व ¹ (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				573 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा ² से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.90 प्रतिशत)				11.20 प्रतिशत
5	साक्षरता ³ (2011) (अखिल भारतीय औसत=73 प्रतिशत)				75.60 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु-दर ⁴ (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 33 प्रति 1000 सजीव जन्म)				30
7	जन्म ⁵ पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=69.4 वर्ष)				69.8 वर्ष
8	गिनी गुणांक ⁶				
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.29)			0.30
	ख	शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)			0.36
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2019-20 ⁷				₹ 8,31,610 करोड़
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2019-20)	हरियाणा		12.12 प्रतिशत	
11		सामान्य श्रेणी राज्य		10.53 प्रतिशत	
12		अखिल भारतीय		9.84 प्रतिशत	
13	स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2018-19)	हरियाणा		13.71 प्रतिशत	
14		सामान्य श्रेणी राज्य		11.98 प्रतिशत	
15	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2020)				14.52 प्रतिशत
16	सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या ⁸ वृद्धि (2011 से 2020)				10.98 प्रतिशत
ख	वित्तीय आंकड़े				
विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)			
सी.ए.जी.आर		2010-11 से 2018-19		2018-19 से 2019-20	
		सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का	13.65	12.56	2.08	2.99
ख	स्वयं के कर राजस्व का	12.21	12.34	2.12	0.57
ग	कर-भिन्न राजस्व का	11.19	11.16	23.44	(-) 7.22
घ	कुल व्यय का	13.87	13.83	4.09	11.38
ङ	पूँजीगत व्यय का	14.64	18.15	(-) 3.86	15.41
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	11.58	10.03	11.81	14.27
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.43	16.72	9.48	21.62
ज	वेतन एवं मजदूरी का	10.78	9.15	9.51	13.17
झ	पेंशन का	14.14	12.85	9.74	8.51

¹ जनगणना सूचना भारत 2011

² आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, खण्ड-II, सांख्यिकीय परिशिष्ट पृष्ठ क 169 तालिका 9.8

³ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, खण्ड-II, सांख्यिकीय परिशिष्ट पृष्ठ क 164 तालिका 9.4

⁴ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, खण्ड-II, सांख्यिकीय परिशिष्ट पृष्ठ क 160 तालिका 9.1

⁵ एस.आर.एस. आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2014-18

⁶ http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf.

⁷ सांख्यिकी विशेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई सूचना।

⁸ भारतीय जनगणना 2011 (भारत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु जनसंख्या प्रक्षेपण 2011-2036), तालिका 14, पृष्ठ 121-133

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.4.2; पृष्ठ 7)

31 मार्च 2020 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 को	देयताएं	31 मार्च 2020 को
1,54,967.80	आन्तरिक ऋण	1,83,785.60
	1,14,987.33 ब्याज युक्त बाजार ऋण	1,35,664.18
	2.26 ब्याज रहित बाजार ऋण	2.26
	0.00 जीवन बीमा निगम से ऋण	0.00
	29,608.70 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	38,754.04
	10,369.51 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9,365.12
1,866.94	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,705.45
	1984-85 से पूर्व के ऋण	
	40.25 योजनेत्तर ऋण	38.64
	1,560.85 राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण	1,298.58
	265.84 विधाई स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण	368.23
200.00	आकस्मिक निधि	200.00
15,715.23	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	16,962.46
8,404.55	जमा	7,921.80
6,315.60	आरक्षण निधियां	8,494.35
	उचंत तथा विविध शेष	
327.48	प्रेषण शेष	273.74
1,87,797.60		2,19,343.40
31 मार्च 2019 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2020 को
94,616.48	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	1,12,228.40
	30,747.91 कम्पनियों, निगमों, इत्यादि के शेयरों में निवेश	36,922.92
	63,868.57 अन्य पूंजीगत परिव्यय	75,305.48
11,473.68	ऋण एवं अग्रिम	7,390.30
	6,471.21 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	1,349.09
	4,926.36 अन्य विकास ऋण	5,964.85
	76.11 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	76.36
0.74	अग्रिम	0.74
57.23	उचन्त एवं विविध शेष	70.49
-	प्रेषण शेष	
2,985.55	नकद	3,999.47
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	(-795.10 रिजर्व बैंक में जमा	-1,644.93
	3.79 विभागीय नकद शेष	2.83
	0.12 स्थायी अग्रिम	0.12
	721.57 नकद शेष निवेश	2,332.87
	3,054.63 आरक्षित निधि निवेश	3,308.04
78,663.92	सरकारी लेखाओं पर घाटा	95,654.00
	11,270.42 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	16,990.08
	67,374.23 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	78,663.92
	19.27 विविध सरकारी लेखे	-
1,87,797.60	कुल	2,19,343.40

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 16)

वर्ष 2019-20 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2018-19	2019-20		2018-19	2019-20
भाग क: राजस्व					
I. राजस्व प्राप्तियां	65,885.12	67,858.13	I. राजस्व व्यय	77,155.54	84,848.21
कर राजस्व	42,581.34	42,824.95	सामान्य सेवाएं	28,168.97	31,883.95
कर भिन्न राजस्व	7,975.64	7,399.74	सामाजिक सेवाएं	29,743.19	33,726.48
संघीय करों में राज्यांश	8,254.60	7,111.53	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	12,671.67	14,479.34
नॉन प्लान अनुदान	-	-	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,678.33	4,472.43
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	-	-	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	4,804.46	5,147.25
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	-	-	सूचना एवं प्रसारण	216.16	228.42
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों	2,843.09	2,851.99	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	398.71	287.19
वित्त आयोग अनुदान राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,274.26	2,005.74	श्रम एवं श्रम कल्याण	659.36	909.42
	2,956.19	5,664.18	समाज कल्याण एवं पोषण	7,301.44	8,186.66
			अन्य	13.06	15.77
			आर्थिक सेवाएं	19,021.58	19,237.78
			कृषि एवं सहायक गतिविधियां	3,392.03	3,201.01
			ग्रामीण विकास	3,417.60	3,956.62
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,470.54	1,492.00
			ऊर्जा	7,447.42	7,015.30
			उद्योग एवं खनिज	402.78	392.19
			परिवहन	2,791.38	3,078.58
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	30.89	24.98
			अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	68.94	77.10
			सहायता अनुदान तथा अंशदान	221.80	0.00
II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा	11,270.42	16,990.08	II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य		
योग भाग क	77,155.54	84,848.21		77,155.54	84,848.21
भाग ख- अन्य					
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	4,417.46	2,985.55	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट		
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	49.01	54.01	IV. पूंजीगत परिव्यय	15,306.60	17,665.93
			सामान्य सेवाएं	714.55	586.16
			सामाजिक सेवाएं	3,804.65	3,233.56
			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	396.27	388.28
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	332.83	510.17
			जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,853.79	2,152.86
			सूचना एवं प्रसारण	22.06	40.30
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.03	2.50
			समाज कल्याण एवं पोषण	98.20	22.08
			अन्य	95.47	117.37

प्राप्तियां			संवितरण			
	2018-19		2019-20			
				आर्थिक सेवाएं	10,787.40	13,846.21
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,816.09	4,477.27
				ग्रामीण विकास	3.86	28.59
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,274.38	1,400.82
				ऊर्जा	5,500.25	5,829.63
				उद्योग एवं खनिज	2.11	13.21
				परिवहन	1,766.80	1,819.45
				विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-	11.50
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	423.91	265.74
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूतियां	5,371.90		5,392.63	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	755.64	1,309.25
बिजली परियोजनाओं से	5,271.09	5,282.76		बिजली परियोजनाओं हेतु	52.83	160.63
सरकारी कर्मचारियों से	58.38	68.62		सरकारी कर्मचारियों को	54.81	68.87
अन्यों से	42.43	41.25		अन्यों को	648.00	1,079.75
VI राजस्व आधिक्य भाग क से अग्रणीत	-	-		VI. राजस्व घाटा भाग क से अग्रणीत	11,270.42	16,990.08
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	34,264.97		44,431.82	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	17,183.87	15,775.51
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण		
आन्तरिक ऋण	33,635.11	43,067.68		आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त)	16,479.68	14,249.88
(अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त)						
अर्थापय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	505.03	1,261.75		अर्थापय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल लेनदेन	505.03	1,261.75
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	124.83	102.39		केन्द्रीय सरकार के ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	199.16	263.88
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन				VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	12.18	0.00
IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि	12.18		0.00	IX. आकस्मिक निधि से व्यय		
X. लोक लेखा प्राप्तियां	40,785.09		45,047.46	X. लोक लेखा संवितरण	37,386.35	42,171.23
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	3,512.08	3,670.12		लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि.	2,344.37	2,422.89
आरक्षित निधियां	944.98	2,317.15		आरक्षित निधियां	156.46	138.40
उचन्त एवं विविध	912.33	1,029.73		उचन्त एवं विविध	978.04	1,042.99
प्रेषण	8,911.01	8,919.27		प्रेषण	8,740.29	8,973.01
जमा एवं अग्रिम	26,504.69	29,111.19		जमा एवं अग्रिम	25,167.19	29,593.94
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से संवरण ओवरड्राफ्ट				XI. अंतिम रोकड़ शेष	2,985.55	3,999.47
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद राशि	0.54	0.54
				रिजर्व बैंक के साथ जमा	(-)795.10	(-)1,644.93
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित	3.91	2.95
				विभागीय नकद शेष		
				नकद शेष निवेश	721.57	2,332.87
				चिह्नित निवेश	3,054.63	3,308.04
योग भाग-ख	84,900.61		97,911.47	योग	84,900.61	97,911.47

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 19)
राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग-क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	47,557	52,497	62,695	65,885	67,858
(i) कर राजस्व	30,929 (65)	34,026 (65)	41,099(66)	42,581 (65)	42,825 (63)
विक्रियों, व्यापार आदि पर कर	21,060 (68)	23,488 (69)	15,609(38)	8,998 (21)	8,398 (19)
राज्य उत्पाद शुल्क	4,371 (14)	4,613 (13)	4,966(12)	6,042 (14)	6,323 (15)
वाहनों पर कर	1,401 (5)	1,583 (5)	2,778(7)	2,908 (7)	2,916 (7)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,191 (10)	3,283 (10)	4,193(10)	5,636 (13)	6,013 (14)
भू-राजस्व	15	16	18	19	20
माल एवं यात्रियों पर कर	554 (2)	595 (2)	2,317(6)	21	16
बिजली पर कर एवं शुल्क	257 (1)	276 (1)	306(1)	337 (1)	262 (1)
राज्य माल एवं सेवा कर	0	0	10,833(26)	18,613 (44)	18,873 (44)
अन्य कर	80	172	79	7	4
(ii) कर-भिन्न राजस्व	4,753 (10)	6,196 (12)	9,113(14)	7,976 (12)	7,400 (11)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	5,496 (12)	6,597 (12)	7,298(12)	8,255 (12)	7,111 (10)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	6,379 (13)	5,678 (11)	5,185(8)	7,073 (11)	10,522 (16)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	30	26	40	49	54
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	328	973	6,341	5,372	5,393
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	47,915	53,496	69,076	71,306	73,305
5. लोक ऋण प्राप्तियां	37,998	28,170	21,490	34,265	44,432
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	37,901 (100)	28,047 (100)	21,270(99)	33,635 (98)	43,068 (97)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	0	0	79	505 (2)	1,262 (3)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	97	123	141(1)	125	102
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	85,913	81,666	90,566	1,05,571	1,17,737
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	63	80	27	12	0
8. लोक लेखे प्राप्तियां	29,056	32,108	33,894	40,785	45,047
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	1,15,032	1,13,854	1,24,487	1,46,368	1,62,784
भाग- ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	59,236	68,403	73,257	77,155	84,848
योजनागत	18,561 (31)	22,119 (32)	0	0	0
योजनेत्तर	40,675 (69)	46,284 (68)	0	0	0
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	18,713 (32)	21,631 (32)	26,699(36)	28,169 (36)	31,884 (38)
आर्थिक सेवाएं	18,691 (32)	20,875 (30)	18,107(25)	19,021 (25)	19,238 (22)
सामाजिक सेवाएं	21,539 (36)	25,473 (37)	28,061(38)	29,743(38)	33,726 (40)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	293	424(1)	390(1)	222(1)	0
11. पूंजीगत व्यय	6,908	6,863	13,538	15,307	17,666
योजनागत	6,624 (96)	6,559 (96)	0	0	0
योजनेत्तर	284 (4)	304 (4)	0	0	0
सामान्य सेवाएं	460 (7)	399 (6)	481(4)	715 (5)	586 (3)
आर्थिक सेवाएं	4,908 (71)	4,877 (71)	9,884(73)	10,787 (70)	13,846 (79)
सामाजिक सेवाएं	1,540 (22)	1,587 (23)	3,173(23)	3,805 (25)	3,234 (18)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	13,250	4,515	1,395	756	1,309
13. कुल (10+11+12)	79,394	79,781	88,190	93,218	1,03,823
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	7,215	5,276	6,339	17,184	15,776
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	7,039 (98)	5,090 (96)	6,074(96)	16,480 (96)	14,250 (90)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	79(1)	505 (3)	1,262 (8)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	176 (2)	186 (4)	186(3)	199 (1)	264 (2)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	-	0

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	86,609	85,057	94,529	1,10,402	1,19,599
17. आकस्मिक निधि संवितरण	63	80	27	12	0
18. लोक लेखा संवितरण	28,650	29,276	31,171	37,386	42,171
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	1,15,322	1,14,413	1,25,727	1,47,800	1,61,770
भाग ग-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(-)11,679	(-)15,906	(-)10,562	(-) 11,270	(-) 16,990
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-)31,479	(-)26,285	(-)19,114	(-) 21,912	(-) 30,518
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-)23,195	(-)15,743	(-)7,153	(-) 8,361	(-) 14,930
भाग-घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	8,284	10,542	11,961	13,551	15,588
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	10,766	12,647	9,844	10,078	11,337
25. अर्थोपाय अग्रिम/प्राप्त ओवरड्राफ्ट(दिनों में)	0	0	79(2)	505(4)	1,262 (11)
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0	0	0.02	0.29	0.42
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ¹	4,95,504	5,61,610	6,49,592	7,34,163	8,31,610
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	1,20,718	1,46,371	1,64,076	1,84,216	2,15,562
29. बकाया गारंटियां-ब्याज तथा गारंटी फीस सहित (वर्ष के अन्त में)	16,886	8,260	14,187	18,273	20,770
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	18	14	25	23	26
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	98.65	199.17	167.14	127.30	221.57
भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.062	0.061	0.063	0.058	0.051
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.010	0.011	0.014	0.011	0.009
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.011	0.012	0.011	0.011	0.009
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.160	0.142	0.136	0.127	0.125
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.669	1.520	1.407	1.415	1.530
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.746	0.857	0.831	0.828	0.817
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.291	0.339	0.354	0.360	0.356
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.297	0.323	0.317	0.320	0.319
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.087	0.086	0.154	0.164	0.170
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.081	0.081	0.148	0.157	0.165
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.024	(-)0.028	(-)0.016	(-)0.015	-0.020
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)0.064	(-)0.047	(-)0.029	(-)0.030	-0.037
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.047	(-)0.028	(-)0.011	(-)0.011	-0.018
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.371	0.605	0.553	0.514	0.557
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.24	0.26	0.25	0.25	0.26
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	2.538	2.788	2.617	2.796	3.177
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	15.89	5.89	7.53	56.60	87.01
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.67	0.62	0.60	0.58	0.56

¹ आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यां पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2.2 (iv); पृष्ठ 22)

राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2020 तक राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	31 मार्च 2020 को बकाया राशि	विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वसूली की स्थिति											
				कोर्ट द्वारा स्टे	सरकार द्वारा स्टे	दिवालिया डीलर	बड़े खतो में डाला जाना	संशोधन/समीक्षा/अपील	न्यायालय में मामले	अन्य कारण	आधिकारिक परिसमापक/बी.आई.एफ.आर ²	अंतराज्यीय बकाया	अंतर जिला बकाया	किशतों में	कारवाई के विभिन्न चरणों में
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	4,934.61	30,717.17	1,345.21	1,126.74	18.11	138.36	4,260.95	2,888.50	3,940.62	1,426.04	3,278.28	90.02	178.03	12,026.31
2	राज्य उत्पाद शुल्क	196.28	310.48	14.37	0.47	0.93	3.99	--	16.52	35.00	1.33	34.11	49.69	0.01	154.06
3	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	147.96	206.32	197.10	--	--	--	--	0.07	--	--	--	--	--	9.15
4	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.69	11.69	2.76	--	--	0.01	--	--	--	--	--	--	--	8.92
5	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	61.18	985.44	38.01	--	--	0.09	--	--	--	--	--	--	--	947.34
6	बिजली पर कर और शुल्क	179.30	325.20	179.30	₹ 324.20 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं से लंबित थे और ₹ 1.00 करोड़ मैसर्स हरियाणा कंकास्ट, हिसार के विरुद्ध लंबित थे।										
7	पुलिस	40.91	127.98	40.91	₹ 31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित था। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, फरीदाबाद से ₹ 0.29 करोड़ वसूलीय थे और अन्य राज्यों में चुनाव इयूटी एवं कानून व्यवस्था के लिए अन्य राज्यों से ₹ 120.31 करोड़ वसूलीय थे।										
कुल		5,571.93	32,684.28												

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (iv); पृष्ठ 39)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार सरकारी निवेश
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वित्त लेखे के अनुसार	कंपनी लेखा के अनुसार	अंतर
1	हरियाणा वित्तीय निगम	204.22	202.01	(-) 2.21
2	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	9,412.21	13,287.04	3,874.83
3	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,341.03	2,940.84	(-) 400.19
4	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	48.06	47.22	(-) 0.84
5	हरियाणा डेयरी विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	4.77	5.57	0.80
6	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	33.84	26.14	(-) 7.70
7	हरियाणा पुलिस आवास निगम	69.82	25.00	(-) 44.82
8	हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, गुरुग्राम	8.36	6.80	(-) 1.56
9	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.74	2.76	0.02
10	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	9.90	9.89	(-) 0.01
11	हरियाणा राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.62	2.65	0.03
12	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	76.10	72.36	(-) 3.74
13	हरियाणा राज्य सड़कें और पुल विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	70.12	122.04	51.92
14	हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	1.40	1.81	0.41
15	हरियाणा टेनरीज लिमिटेड, जींद	0.22	1.17	0.95
16	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	शून्य	37.76	37.76
17	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,512.16	4,124.74	612.58
18	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	14.86	15.51	0.65
19	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकुला	11,000.75	15,100.34	4,099.59
20	हरियाणा मास रैपिड यातायात निगम	शून्य	14.40	14.40
21	हरियाणा मेडिकल सर्विसिज लिमिटेड	शून्य	5.00	5.00
22	हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड	शून्य	19.22	19.22
	कुल	27,813.18	36,070.27	8,257.09

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20 और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप देने तक के लेखे

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (vi); पृष्ठ 41)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
1	सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुड़गांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर.टी.सी.एल. (रैपिड मेट्रो गुड़गांव साउथ लिमिटेड)	1,088.00	बी.ओ.टी.	16.07.2009	14.11.2013
2	कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी. (मैसर्ज एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड)	1,863.00	बी.ओ.टी.	31.07.2015 (प्रारंभ करने की तिथि 24.08.2016)	04.12.2018 (अंतिम वाणिज्यिक परिचालन)
3	दिल्ली मेट्रो सिकंदरपुर से सेक्टर 56, गुड़गांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर.टी.सी.एल.	2,143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	1 अक्टूबर 2012	31.03.2017
4	हरियाणा विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड की जे.के.टी.पी.एल.	कल्पतरु पावर ट्रांस लिमिटेड और टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग के संयुक्त उद्यम।	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर)	14.05.2010	12.03.2012
5	बस स्टैंड, एन.आई.टी. फरीदाबाद	डी.जी.एस.टी. (मैसर्ज पैसिफिक रिटेल काउंटेर्स)	110.94	डी.बी.एफ.ओ.टी.	14.06.2018	योजना की स्वीकृति और साइट को सौंपने के दो वर्ष बाद
6	हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका भिवानी रोड (0.00 से 14.28 किलोमीटर) पर पक्के फुटपाथ के साथ 2 लेनिंग का विकास	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	94.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016		पूरा हुआ
7	गुड़गांव, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोहना रोड का रख-रखाव (लंबाई 66.185 किलोमीटर)	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	180.00	बी.ओ.टी.		परियोजना परिचालन चरण में है।
8	1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	130.00	-	2007-2012	नई स्वीकृत आई.डी.पी. के अनुसार 2018-19 (संस्थान विकास योजना 2018-19) 31.08.2020 तक ₹13.24 करोड़ का राजस्व सृजित हुआ
9	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से 7/2014 से परियोजना शुरू हुई	17 जिलों में सी.टी. स्कैन सेवाएं और 4 जिलों में एम.आर.आई. सुविधाएं कार्यात्मक हैं।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
10	हेमोडायलिसिस	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	2017 से आगे	18 जिलों में सेवाएं कार्यात्मक हैं और तीन जिलों (कुरुक्षेत्र, मेवात, अंबाला शहर) में प्रगति पर हैं।
11	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	4 जिलों के अस्पतालों के लिए मार्च 2016	चार जिला अस्पतालों में सेवाएं कार्यात्मक हैं।
12	गुड़गांव मनोरंजन पार्क का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	कंपनी ने घाटे के कारण होटल ब्लॉक को बेचने की अनुमति मांगी। शेष वाणिज्यिक क्षेत्र में अब तक परिचालन शुरू नहीं हुआ है।
13	हरियाणा राज्य में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकास के लिए 14 परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय	1,627.62	बी.ओ.ओ.टी.	-	14 परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और सितंबर 2019 में पूरा होने की संभावना है। एक परियोजना के लिए बोली मूल्यांकन कर लिया गया है और परियोजना का कार्य जल्दी ही आबंटित किया जाएगा। परियोजनाओं के संबंध में निविदाएं अगले तीन महीनों में आमंत्रित की जाएगी। चार परियोजनाओं में निविदाएं जनवरी 2018 में आमंत्रित की गई थीं और प्रत्येक परियोजना में एकल बोली प्राप्त हुई, पुनःनिविदा का निर्णय अनुमोदन हेतु लंबित है।
कुल			7,848.56			

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.1; पृष्ठ 65)

मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधानों में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	1-विधानसभा	78.70	11.14	77.99	11.85
2	4-राजस्व	1,431.07	9.45	1,058.31	382.21
3	6-वित्त	10,584.69	14.43	9,064.73	1,534.39
4	7-योजना और सांख्यिकी	52.30	0.65	34.71	18.24
5	9-शिक्षा	13,941.98	378.12	13,632.85	687.25
6	11-खेल एवं युवा कल्याण	382.94	24.07	292.08	114.93
7	12-कला और संस्कृति	38.42	95.71	11.76	122.37
8	15-स्थानीय सरकार	4,021.68	1,438.35	3,196.37	2,263.66
9	16-श्रम	54.58	4.00	51.90	6.68
10	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	519.12	140.00	457.47	201.65
11	19-अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का कल्याण	508.81	5.02	287.19	226.64
12	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	6,663.30	21.41	6,653.06	31.65
13	21-महिला एवं बाल विकास	1,352.88	70.50	1,014.11	409.27
14	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	242.02	56.55	122.86	175.71
15	24-सिंचाई	1,724.65	0.50	1,459.65	265.50
16	26-खान और भू-विज्ञान	130.15	4.75	112.53	22.37
17	27-कृषि	2,721.80	335.00	1,513.84	1,542.96
18	29-मत्स्य	73.26	1.00	51.75	22.51
19	30-वन एवं वन्यजीवन	505.64	6.54	333.79	178.39
20	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4,898.60	383.14	3,940.38	1,341.36
21	34-परिवहन	2,387.02	50.00	2,049.85	387.17
22	36-गृह	4,663.39	100.00	4,447.94	315.45
23	37-चुनाव	175.64	129.40	133.93	171.11
24	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	2,136.73	16.06	1,807.77	345.02
25	40-एनर्जी एवं पावर	7,366.92	1,500.00	7,028.67	1,838.25
26	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी.	152.75	4.20	54.50	102.45
27	42-न्याय प्रशासन	870.32	40.22	624.09	286.45
28	43-जेल	277.27	3.00	220.01	60.26
	कुल	67,956.63	4,843.21	59,734.09	13,065.75
पूँजीगत (दत्तमत)					
29	3-सामान्य प्रशासन	0.00	12.50	0.00	12.50
30	8-भवन एवं सड़कें	4,008.64	459.76	2,970.57	1,497.83
31	13-स्वास्थ्य	474.36	220.00	322.58	371.78
32	14-शहरी विकास	1,300.00	500.00	883.72	916.28
33	21-महिला एवं बाल विकास	144.10	1.67	17.93	127.84
34	24-सिंचाई	1,549.94	260.00	1,333.08	476.86
35	34-परिवहन	297.11	255.00	64.04	488.07
36	45-ऋण एवं अग्रिम	1,407.27	275.00	1,309.25	373.02
	कुल	9,181.42	1,983.93	6,901.17	4,264.18
पूँजीगत (भारित)					
37	24-सिंचाई	70.00	35.00	67.74	37.26
	कुल	70.00	35.00	67.74	37.26
	सकल योग	77,208.05	6,862.14	66,703.00	17,367.19

मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधानों में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	160.53	39.07	166.27	33.33
2	3-सामान्य प्रशासन	313.42	62.85	337.67	38.60
3	5-आबकारी एवं कराधान	222.71	24.81	224.48	23.04
4	10-तकनीकी शिक्षा	482.72	105.00	529.49	58.23
5	13-स्वास्थ्य	4,392.73	467.81	4,472.21	388.33
6	17-रोज़गार	360.20	110.00	400.45	69.75
7	35-पर्यटन	9.12	15.00	22.63	1.49
8	39-सूचना एवं प्रचार	186.10	75.00	230.42	30.68
	कुल	6,127.53	899.54	6,383.62	643.45
राजस्व (भारित)					
9	3-सामान्य प्रशासन	15.62	15.81	24.54	6.89
10	42-न्याय प्रशासन	145.96	17.99	157.04	6.91
	कुल	161.58	33.80	181.58	13.80
पूंजीगत (दत्तमत)					
11	11-खेल एवं युवा कल्याण	50.00	20.00	55.39	14.61
12	23-खाद्य एवं आपूर्ति	13,596.40	1,509.46	14,107.10	998.76
	कुल	13,646.40	1,529.46	14,162.49	1,013.37
पूंजीगत (भारित)					
13	8-भवन एवं सड़कें	30.00	30.00	56.47	3.53
	कुल	30.00	30.00	56.47	3.53
	सकल योग	19,965.51	2,492.80	20,784.16	1,674.15

मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधानों से आधिक्य
राजस्व (दत्तमत)					
1	8-भवन एवं सड़कें	1,145.33	27.45	1,299.77	126.99
2	23-खाद्य एवं आपूर्ति	430.84	1.50	458.73	26.39
	कुल	1,576.17	28.95	1,758.50	153.38

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.2 (i); पृष्ठ 66)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचत
₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	4-राजस्व	1,431.07	9.45	1,440.52	1,058.31	382.21
2	6-वित्त	10,584.69	14.43	10,599.12	9,064.73	1,534.39
3	9-शिक्षा	13,941.98	378.12	14,320.10	13,632.85	687.25
4	11-खेल एवं युवा कल्याण	382.94	24.07	407.01	292.08	114.93
5	12-कला और संस्कृति	38.42	95.71	134.13	11.76	122.37
6	13-स्वास्थ्य	4,392.73	467.81	4,860.54	4,472.21	388.33
7	14-शहरी विकास	583.02	0.00	583.02	105.69	477.33
8	15-स्थानीय सरकार	4,021.68	1,438.35	5,460.03	3,196.37	2,263.66
9	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	519.12	140.00	659.12	457.47	201.65
10	19-अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का कल्याण	508.81	5.02	513.83	287.19	226.64
11	21-महिला एवं बाल विकास	1,352.88	70.50	1,423.38	1,014.11	409.27
12	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	242.02	56.55	298.57	122.86	175.71
13	24-सिंचाई	1,724.65	0.50	1,725.15	1,459.65	265.50
14	27-कृषि	2,721.80	335.00	3,056.80	1,513.84	1,542.96
15	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	1,006.48	0.00	1,006.48	823.37	183.11
16	30-वन एवं वन्य जीवन	505.64	6.54	512.18	333.79	178.39
17	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4,898.60	383.14	5,281.74	3,940.38	1,341.36
18	34-परिवहन	2,387.02	50.00	2,437.02	2,049.85	387.17
19	36-गृह	4,663.39	100.00	4,763.39	4,447.94	315.45
20	37-चुनाव	175.64	129.40	305.04	133.93	171.11
21	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	2,136.73	16.06	2,152.79	1,807.77	345.02
22	40-एनर्जी एवं पावर	7,366.92	1,500.00	8,866.92	7,028.67	1,838.25
23	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई.टी.	152.75	4.20	156.95	54.50	102.45
24	42-न्याय प्रशासन	870.32	40.22	910.54	624.09	286.45
	कुल	66,609.30	5,265.07	71,874.37	57,933.41	13,940.96
राजस्व (भारित)						
25	6-वित्त	16,799.62	0.00	16,799.62	15,588.01	1,211.61
	कुल	16,799.62	0.00	16,799.62	15,588.01	1,211.61

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
पूँजीगत (दत्तमत)						
26	7-योजना और सांख्यिकी	409.28	0.00	409.28	236.89	172.39
27	8-भवन एवं सड़कें	4,008.64	459.76	4,468.40	2,970.57	1,497.83
28	9-शिक्षा	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
29	13-स्वास्थ्य	474.36	220.00	694.36	322.58	371.78
30	14-शहरी विकास	1,300.00	500.00	1,800.00	883.72	916.28
31	21-महिला एवं बाल विकास	144.10	1.67	145.77	17.93	127.84
32	23-खाद्य एवं आपूर्ति	13,596.40	1,509.46	15,105.86	14,107.10	998.76
33	24-सिंचाई	1,549.94	260.00	1,809.94	1,333.08	476.86
34	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	300.00	0.00	300.00	28.59	271.41
35	34-परिवहन	297.11	255.00	552.11	64.04	488.07
36	36-गृह	410.00	0.00	410.00	229.70	180.30
37	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,470.58	0.00	1,470.58	1,173.72	296.86
38	45-ऋण एवं अग्रिम	1,407.27	275.00	1,682.27	1,309.25	373.02
	कुल	25,467.68	3,480.89	28,948.57	22,677.17	6,271.40
पूँजीगत (भारित)						
39	लोक ऋण	20,257.15	0.00	20,257.15	15,775.51	4,481.64
	कुल	20,257.15	0.00	20,257.15	15,775.51	4,481.64
	सकल योग	1,29,133.75	8,745.96	1,37,879.71	1,11,974.10	25,905.61

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.2 (ii); पृष्ठ 68)

₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)					
1	अनुदान संख्या 14-शहरी विकास				
(i)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 87-हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दिल्ली के आसपास एन.सी.आर. उपग्रह के लिए सहायता अनुदान	520.00	43.06	476.94	92
2	15-स्थानीय सरकार				
(i)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-शहरी स्थानीय निकाय विभाग हेतु निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डी.एल.बी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	987.00	शून्य	987.00	100
(ii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 97-केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर नगर निगमों को सहायता अनुदान	576.91	452.55	124.36	22
(iii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 87-स्मार्ट सिटी	400.00	7.00	393.00	98
(iv)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता, 92-स्थानीय निकायों को स्टाम्प शुल्क की आय से नगर समितियों/नगर परिषदों के लिए अंशदान	346.00	186.67	159.33	46
(v)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 94-राजीव आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (प्र.म.आ.यो.-शहरी)	215.00	15.03	199.97	93
(vi)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 92-अनुसूचित जाति घटक राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण के लिए नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान	430.00	301.00	129.00	30
(vii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 793-अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, 99-राजीव आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक कर दिया गया	140.00	7.92	132.08	94
(viii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 83-राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर नगरपालिका समितियों को सहायता अनुदान	770.00	635.42	134.58	17
3	18-औद्योगिक प्रशिक्षण				
(i)	2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 03-प्रशिक्षण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 90-कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (आई.टी.वी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	140.00	शून्य	140.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
4	19-अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण				
(i)	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01-अनुसूचित जाति का कल्याण, 277-शिक्षा, 99-अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	172.31	30.30	142.01	82
5	24-सिंचाई				
(i)	2705-कमान क्षेत्र विकास, 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों के लिए सहायता, 95-नहर क्षेत्र के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रम (50 प्रतिशत आधार)	205.00	90.75	114.25	56
6	27-कृषि				
(i)	2401-फसल पालन, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 94-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ए.जी.आर.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	330.00	शून्य	330.00	100
(ii)	2401-फसल पालन, 109-विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण, 78-कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन	200.00	36.69	163.31	82
(iii)	2401-फसल पालन, 109-विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण, 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना	350.00	92.37	257.63	74
(iv)	2401-फसल पालन, 119-बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 54-बागवानी किसानों को फार्म पर एवं विपणन सहायता	100.00	शून्य	100.00	100
(v)	2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 77-सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	160.26	0.80	159.46	99
7	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास				
(i)	2505-ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	220.00	110.14	109.86	50
(ii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 96-ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (आर.यू.डी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	372.34	शून्य	372.34	100
(iii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 106-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, 99-विधायक आदर्श ग्राम योजना (वि.आ.ग्रा.यो.)	180.20	66.35	113.85	63
8	37-चुनाव				
(i)	2015-चुनाव, 101-चुनाव आयोग, 97-राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की निष्पादन लिंकड परिव्यय योजना (पी.एल.ओ.) (एस.ई.सी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	129.40	शून्य	129.40	100
पूंजीगत (दत्तमत)					
9	34-परिवहन				
(i)	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 050-भूमि एवं भवन, 76-परिवहन के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (टी.आर.ए.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.)	255.00	शून्य	255.00	100

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3 (i); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	बागवानी	बागवानी किसानों को फार्म पर एवं विपणन सहायता	100.00	-
2	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक चंडीगढ़	1.00	-
3		प्राथमिक सहकारी एवं कृषि ग्रामीण विकास में शेयरपूजी के लिए सरकार का अंशदान	1.00	-
4	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग	स्टार्ट-अप एंड आई.टी. एवं ई.एस.डी.एम. नीति के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के लिए सब्सिडी	20.00	-
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	टिशू कल्चर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का सूक्ष्म प्रसार	2.47	-
6	खेल एवं युवा कल्याण	पंचायती युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पं.यु.क्री.खे.अभि.) नया नाम खेलो इंडिया-खेलो के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम - केंद्रीय क्षेत्र योजना सहायता अनुदान	8.00	-
7		इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम	4.00	-
8	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (एस.टी.आर.आई.वी.ई.)	10.00	-
		कुल	146.47	-

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(ii); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण जिनमें ₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक के प्रावधान को संशोधित अनुमानों में कम किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	कृषि एवं किसान कल्याण	हरियाणा भंडारण निगम को ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए ऋण (नाबाई)	18.00	5.00
2		अनुसूचित जातियों के किसानों के लिए सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	30.00	0.01
3	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए. प्रशासन	10.00	6.00
4		इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकान का निर्माण/उन्नयन के लिए योजना जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना (प्र.म.आ.यो.) कर दिया गया	45.00	26.00
5		अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	53.50	20.00
6	भू-अभिलेख	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम-सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण एवं आधुनिक अभिलेख कक्ष	9.40	2.00
7	विकास एवं पंचायत	स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना (स्व.म.ग्रा.वि.यो.) के लिए योजना - सामान्य योजना	10.00	0.01
8		राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (रा.गां.पं.स.अ.) का नाम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (रा.ग्रा.स्व.अ.) रखा गया	40.00	10.00
9	सिंचाई एवं जल संसाधन	बांध एवं सहायक कार्य	10.00	0.01
10		नहर का निर्माण (एस.वाई.एल.)	100.00	0.01
11		बी.एम.एल. की बहाली क्षमता	7.00	4.00
12		नाबाई के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई	10.00	0.01
13		नहरों का निर्माण (मेवात)	10.00	0.50
14	विद्युत	आर.आई.डी.एफ. योजनाओं के अंतर्गत नाबाई से एच.पी.जी.सी.एल. को ऋण	53.86	1.00
15	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना	20.00	0.01
16	आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण	स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान	10.00	1.50
17		स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान	9.28	0.10
18	शिक्षा (प्राथमिक)	सुविधाओं का विस्तार वर्ग VI - VIII (पूर्णकालिक)	100.00	9.69
19	शिक्षा (माध्यमिक)	झज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	13.00	0.01
20		नाबाई के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के भवन का निर्माण	100.00	30.00
21	अग्निशमन सेवा निदेशालय	अग्निशमन सेवाओं का सुदृढीकरण	25.00	0.01
22	शहरी स्थानीय निकाय	प्राकृतिक आपदाओं के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए योजना	5.00	0.01
23		राज्य के नगर निकायों में चौपाल/सामुदायिक केंद्रों के उन्नयन के लिए योजना	7.40	1.00
24		दूध डेयरी का स्थानांतरण	6.00	1.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
25	जनसंपर्क	पंचकूला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित प्लॉट का भुगतान	10.00	0.01
26	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	छात्रावासों के निर्माण के लिए नानाजी देशमुख योजना	5.00	0.01
27		अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना	20.00	4.00
28		अनुसूचित जातियों को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	50.00	15.00
29	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	विकलांगों के लिए अनुसंधान केंद्र/विशेष विद्यालय और मनोरंजन केंद्र की स्थापना	10.00	0.10
30		प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (प्र.म.जी.ज्यो.बी.यो.)	20.00	1.00
31	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना (उदिशा परियोजना)	5.00	1.00
32	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	32.33	6.00
33	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	20.00	3.50
34		खजाना एवं लेखा प्रशासन	5.00	0.10
		कुल	879.77	148.60

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(iii); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमानों में ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक का प्रावधान किया गया था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	पशुपालन एवं डेयरी	राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना	3.50	3.50
2		अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना	1.50	1.50
3	ग्रामीण विकास	सासंद आदर्श ग्राम योजना	2.50	2.50
4	तकनीकी शिक्षा	अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति	1.00	1.00
5		वर्तमान पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण	1.50	1.50
6		राज्य में नये राजकीय पॉलिटेक्निकस की स्थापना	4.00	4.00
7	सांस्कृतिक मामले	आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य का उन्नयन- इतिहास एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना	1.50	1.50
8	अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	पिछड़ी जाति के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	3.00	3.00
9	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण -नाबार्ड अंशदान	15.00	15.00
10	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	आई.टी.आई. का आदर्श आई.टी.आई. में उन्नयन	1.00	1.00
11		आई.टी.आई. का आदर्श आई.टी.आई. में उन्नयन	4.00	4.00
12		आई.टी.आई. में आतिथ्य शिक्षा	1.03	1.03
		कुल	39.53	39.53

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(iv); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण जहां ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक के बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के संबंध में व्यय (प्रतिशत में)
1	कृषि एवं किसान कल्याण	जल बचत प्रौद्योगिकी अपनाने पर सहायता प्रदान करने की योजना	3.50	8.50	2.07	59.14
2	मत्स्य पालन	मत्स्य पालन संपदा में जल भराव क्षेत्र के विकास की योजना जिसका नाम बदलकर जल भराव क्षेत्र का विकास कर दिया गया	1.46	4.00	0.54	36.99
3	विकास एवं पंचायत	विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायता अनुदान (सरकारी अंश)	1.00	1.20	0.58	58.00
4		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए योजना - सामान्य योजना	120.00	190.00	87.67	73.06
5		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए योजना - अनुसूचित जातियों के लिए	50.00	71.00	33.05	66.10
6	शिक्षा (उच्चतर)	हिसार में कन्या एन.सी.सी. बटालियन की नई इकाई का खोलना	1.00	1.01	0.66	66.00
7	पुरातत्व एवं संग्रहालय	प्राचीन स्मारक स्थलों की सुरक्षा/संरक्षण, विकास	10.57	98.05	2.06	19.49
8	जनसंपर्क	आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य को बढ़ावा देना- पंजाबी अकादमी की स्थापना	1.00	2.00	0.70	70.00
9		आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य को बढ़ावा देना - राज्य में "हाली उर्दू" अकादमी की स्थापना करना	1.00	1.50	0.45	45.00
10	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)	12.25	15.45	3.95	32.24
		कुल	201.78	392.71	131.73	65.28

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(v); पृष्ठ 73)

स्कीमों के विवरण (₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से भी कम था (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	वा.व्य. के विरुद्ध सं.अ. की प्रतिशतता
1	कृषि एवं किसान कल्याण	फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना	30.00	12.00	9.00	75.00
2		हरियाणा किसान अयोग के गठन की योजना	5.00	2.62	1.70	64.89
3		मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	16.50	12.00	5.10	42.50
4		सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	160.26	16.50	0.80	4.85
5	बागवानी	हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना	25.00	8.00	5.00	62.50
6	पशुपालन एवं डेयरी	आर.आई.डी.एफ.-VIII के अंतर्गत राज्य में पशु चिकित्सा मूलभूत संरचना निर्माण	20.00	10.00	5.00	50.00
7	मत्स्य पालन	सजावटी मछली पालन के लिए योजना	5.00	3.71	2.36	63.61
8	ग्रामीण विकास	एकीकृत बेकार भूमि विकास प्रबंधन परियोजना	10.00	6.00	4.25	70.83
9		एस.जी.एस.वाई. सहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम./आजीविका)-सामान्य योजना	75.00	60.00	32.34	53.90
10		अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम./आजीविका)	75.00	60.00	32.34	53.90
11		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना	220.00	160.00	110.14	68.84
12	शिवालिक विकास बोर्ड	शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए सहायता अनुदान	15.00	12.00	3.75	31.25
13	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	राज्य में सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम की स्थापना	400.00	20.00	10.92	54.60
14		सौर पैनल एवं संबद्ध उपकरणों की खरीद और स्थापना - राज्य में गौशाला में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना	9.19	7.00	4.63	66.14
15	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार	हरियाणा के लिए आई.टी. योजना	67.50	40.00	13.50	33.75
16	परिवहन आयुक्त	भूमि की खरीद और नियामक विंग के लिए भवन का निर्माण	30.00	1.00	0.15	15.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	वा.व्य. के विरुद्ध सं.अ. की प्रतिशतता
17	पर्यटन	हरियाणा में मुख्य राजमार्गों के साथ पर्यटक सुविधाओं का विकास	13.00	7.50	5.58	74.40
18		सूरज कुंड में पर्यटक सुविधाएं	5.00	3.00	2.34	78.00
19	शिक्षा (प्राथमिक)	कक्षा I-VIII में बी.सी.-ए के छात्रों को मासिक वजीफा	60.00	50.00	35.10	70.20
20		कक्षा I-VIII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा	7.00	6.00	3.52	58.67
21	शिक्षा (माध्यमिक)	कक्षा IX-XII में बी.सी.-ए के छात्रों को मासिक वजीफा	40.00	25.00	19.52	78.08
22		कक्षा IX-XII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा	6.00	5.00	2.39	47.80
23	पुरातत्व एवं संग्रहालय	राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना	10.00	0.29	0.16	55.17
24	तकनीकी शिक्षा	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना	10.00	7.33	5.80	79.13
25	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/एम.पी.एच.डब्ल्यू.पुरुष की स्थापना	10.00	1.50	0.61	40.67
26		कुटेल, करनाल में कल्पना चावला चिकित्सा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्थापना जिसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, करनाल कर दिया गया	10.00	1.00	0.50	50.00
27		भिवानी में नए राजकीय चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य	100.00	1.00	0.00 ¹	0.24
28	परिवार कल्याण	ए.एन.एम.स का प्रशिक्षण	9.35	7.50	5.83	77.73
29	स्वास्थ्य	आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	150.00	105.00	42.00	40.00
30	आयुष	श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र	100.00	18.00	11.93	66.28
31	पुलिस	हरियाणा कैडेट कोर	6.68	3.00	1.91	63.67
32		उपकरण की खरीद	34.00	10.00	7.47	74.70
33	शहरी स्थानीय निकाय	राज्य के नगर निकायों में चौपालों/सामुदायिक केंद्रों के उन्नयन के लिए योजना	9.00	5.00	1.32	26.40
34		अनुसूचित जाति की बस्तियों का विकास जिसका नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान कर दिया गया	50.00	35.00	22.50	64.29
35		स्मार्ट सिटी	400.00	100.00	7.00	7.00
36		प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (प्र.मं.आ.यो.-श.)	155.00	80.00	15.03	18.79

¹ ₹ 24,000

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	वा.व्य. के विरुद्ध सं.अ. की प्रतिशतता
37		राजीव आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक कर दिया गया	100.00	40.00	7.92	19.80
38	नगर एवं ग्राम आयोजना	स्वर्ण जयंती हरियाणा शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना जिसका नाम बदलकर मंगल नगर विकास योजना कर दिया गया	1300.00	1200.00	883.72	73.64
39	सांस्कृतिक मामले	सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना	15.64	8.77	3.73	42.53
40	जनसंपर्क	आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य को बढ़ावा देना - हरियाणा साहित्य अकादमी को सहायता	6.00	5.10	3.35	65.69
41	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	अनुसूचित जाति छात्र को उच्च प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता	10.00	7.00	3.24	46.29
42	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	हरियाणा में निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु संस्थागत भूखंड की खरीद का नामकरण निदेशालय के भवन निर्माण के लिए संस्थागत भूखंड की खरीद (स्वर्ण जयंती)	15.00	10.00	0.24	2.40
43	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	हरियाणा में नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण और नशामुक्ति केंद्र स्थापित करना	10.00	2.00	1.01	50.50
44		राजीव गांधी परिवार बीमा योजना	7.50	5.00	2.12	42.40
45	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/हेल्पर के लिए बीमा की भविष्य की सुरक्षा योजना	5.30	4.85	3.24	66.80
46		आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण -राज्य अंशदान	80.00	10.00	6.43	64.30
47		महिला शक्ति केंद्र	5.60	1.00	0.25	25.00
48	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना	17.00	10.00	3.40	34.00
49	खाद्य एवं ड्रग प्रशासन हरियाणा	खाद्य एवं ड्रग प्रशासन के भवन का निर्माण	13.31	6.00	0.07	1.17
50	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	न्याय का प्रशासन	70.00	50.00	20.26	40.52
51	जेल	जेलों का आधुनिकीकरण	35.00	13.32	2.05	15.39
		कुल	4,038.83	2,274.99	1,372.52	60.33

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(vi); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित अनुमान कम किया गया लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान के 20 प्रतिशत से अधिक था (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविकव्यय (वा.व्य.)	वा.व्य. के विरुद्ध सं.अ. की प्रतिशतता
1	कृषि एवं किसान कल्याण	किसानों को मृदा एवं जल परीक्षण सेवाएं प्रदान करना- सामान्य योजना	3.99	0.70	3.40	485.71
2	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा	आवास सहकारी समितियों को ऋण	1.00	0.50	0.70	140.00
3		अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आवास सहकारी को ऋण	1.00	0.50	0.70	140.00
4	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एस.पी.वी. पावर प्लांट प्रोग्राम	50.00	10.00	16.02	160.20
5	शिक्षा (माध्यमिक)	स्कूलों में खेल उपकरण और खेल के मैदानों के विकास का प्रावधान	2.00	0.70	0.84	120.00
6		स्काउटिंग और मार्गदर्शक सहायता	3.00	1.00	2.10	210.00
7	तकनीकी शिक्षा	प्रत्येक सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक और सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब स्थापित करना	1.00	0.50	1.00	200.00
8	पुलिस	कार्यालय भवन	110.00	45.00	60.64	134.76
9	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम	12.00	1.00	1.68	168.00
		कुल	183.99	59.90	87.08	145.38

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(vii); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण जिनमें मूल अनुमानों और संशोधित अनुमानों में ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक के लिए समान प्रावधान रखा गया था लेकिन व्यय प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मूल/ संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	प्रावधान से वा.व्य. की प्रतिशतता
1	कृषि एवं किसान कल्याण	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम का समर्थन	8.00	2.57	32.13
2	बागवानी	अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना	5.00	3.02	60.40
3		सूक्ष्म सिंचाई पर योजना	30.00	5.07	16.90
4	पशुपालन एवं डेयरी	गौ सेवा आयोग की स्थापना के लिए योजना	30.00	21.00	70.00
5	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा	सहकारी विकास महासंघ (हरकोफेड) के माध्यम से प्रचार और प्रसार।	1.60	1.12	70.00
6		सहकारी बैंकों द्वारा अल्पावधि फसल ऋणों के बारे में ब्याज दर पर छूट	100.00	76.89	76.89
7		केंद्रीय सहकारी बैंकों को शेयर पूंजी	90.00	10.00	11.11
8		राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को शेयर पूंजी	2.00	1.58	79.00
9		एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	6.00	3.37	56.17
10		एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम	6.00	2.51	41.83
11	ग्रामीण विकास	विधायक आदर्श ग्राम योजना	180.20	66.35	36.82
12	विकास एवं पंचायत	राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर गांवों में विशेष विकास कार्यों के लिए योजना	306.00	238.93	78.08
13		विकास कार्यों के लिए समानुपातिक सहायता अनुदान (लोक अंश)	1.00	0.32	32.00
14		हरियाणा ग्रामीण विकास योजना	250.00	175.20	70.08
15		राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुसूचित जातियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विशेष विकास कार्य	54.00	38.56	71.41
16		अनुसूचित जातियों के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (ह.ग्रा.वि.यो.) के लिए योजना	250.00	174.80	69.92
17		राजस्व अर्जित योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत को ऋण	1.80	0.15	8.33
18		सामुदायिक विकास	3.10	2.29	73.87
19		सिंचाई एवं जल संसाधन	सरस्वती नदी विरासत विकास कार्यक्रम	1.00	0.32

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मूल/संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	प्रावधान से वा.व्य. की प्रतिशतता
20	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार	राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना	15.97	9.30	58.23
21	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	नाबाई योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे उपरगामी पुलों का निर्माण	15.00	10.75	71.67
22	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता अनुदान	7.00	0.66	9.43
23	शिक्षा (प्राथमिक)	सुविधाओं का विस्तार I-V (पूर्णकालिक)	2.00	0.87	43.50
24	शिक्षा (उच्चतर)	एन.एस.एस. सेल खोलने बारे	1.50	0.44	29.33
25	शिक्षा (माध्यमिक)	9वीं और 11वीं कक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना	5.00	3.76	75.20
26		स्वर्ण जयंती कार्यक्रम - स्वच्छ प्रांगण	2.00	1.60	80.00
27		खण्ड स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (बी.आई.ई.टी.)	2.00	1.38	69.00
28		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.म.शि.अ.)	312.40	243.96	78.09
29	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	मुख्यमंत्री निःशुल्क इलाज योजना-कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा कॉलेज, करनाल	7.00	5.30	75.71
30	परिवार कल्याण	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	6.50	4.81	74.00
31	स्वास्थ्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-अटल जननी वाहिनी सेवा	30.00	21.00	70.00
32	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां	1.20	0.89	74.17
33	शहरी स्थानीय निकाय	स्टाम्प शुल्क की आय से नगर पालिकाओं/परिषदों को स्थानीय निकायों में अंशदान	346.00	187.18	54.10
34		शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	20.00	12.09	60.45
35	जनसंपर्क	आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना-हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना	1.00	0.45	45.00
36	अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का कल्याण	मुख्यालय स्टाफ - सूचना प्रौद्योगिकी	1.00	0.36	36.00
37		अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों की विधवा/निराश्रित महिलाओं/कन्याओं को सिलाई प्रशिक्षण के रूप में नामित जिला स्टाफ	1.37	0.50	36.50
38		महान संतों की जयंती का उत्सव-डॉ.बी.आर. अंबेडकर, गुरु रविदास, महर्षि बाल्मीकि और संत कबीर दास जयंती योजना	1.00	0.40	40.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मूल/संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	प्रावधान से वा.व्य. की प्रतिशतता
39		अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन जिसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना कर दिया गया	12.00	6.48	54.00
40		पिछड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	5.00	0.86	17.20
41	रोज़गार	निजी प्लेसमेंट कंसल्टेंसी और भर्ती सेवाएं (पी.पी.सी. और आर.एस.सी.)	1.00	0.14	14.00
42	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता जिसका नाम बदलकर राजीव गांधी परिवार बीमा योजना (अनुसूचित जाति) कर दिया गया	1.25	0.34	27.20
43		अल्पसंख्यक केंद्रित जिला मेवात और सिरसा के विकास के लिए योजना	30.00	5.39	17.97
44	महिला एवं बाल विकास	जे.जे. अधिनियम को लागू करना- रिमांड/अवलोकन गृह	13.50	10.00	74.07
45		अनुसूचित जाति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को वित्तीय सहायता	90.00	53.35	59.28
46	खजाना और लेखा	मुख्यालय स्टाफ - सूचना प्रौद्योगिकी	1.65	0.72	43.64
		कुल	2,258.04	1,407.03	62.31

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(xi); पृष्ठ 74)

स्कीमों का विवरण जिनके लिए ₹ एक करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान बढ़ाए गए थे लेकिन व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	वा.व्य. का प्रतिशत सं.अ.
1	कृषि एवं किसान कल्याण	हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत वैट/जी.एस.टी. प्लस बाजार शुल्क की प्रतिपूर्ति	30.00	403.92	30.00	7.43
2	ग्रामीण विकास	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (प्र.मं.आ.ग्र.यो.)	2.20	6.50	2.81	43.23
3	विकास और पंचायत	पंचायती राज संस्थानों (पं.रा.सं.) को वैट पर अधिभार से बाहर वित्तीय सहायता	20.00	26.00	20.00	76.92
4	खान और भूविज्ञान	खान और खनिज का विकास-स्थापना व्यय	1.00	2.44	1.03	42.21
5	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार	हरियाणा में चीजों के इंटरनेट के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	2.00	4.20	1.80	42.86
6	शिक्षा (प्राथमिक)	छात्रवृत्ति (मध्य)	1.50	2.20	1.50	68.18
7	तकनीकी शिक्षा	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकूला की स्थापना	20.00	35.00	24.50	70.00
8	खेल और युवा कल्याण	युवा विकास योजना	2.92	4.70	3.59	76.38
9	स्वास्थ्य	बायो चिकित्सा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वित्तीय सहायता	10.00	14.00	8.04	57.43
10	आयुष	राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए राज्य आयुष सोसायटी, हरियाणा को सहायता अनुदान	30.00	80.00	38.48	48.10
11	शहरी स्थानीय	राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान	20.00	50.00	38.27	76.54
12	निकाय	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान	5.40	17.93	11.11	61.96
13		केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान	407.45	622.00	452.55	72.76
14		केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता अनुदान	229.00	350.00	277.56	79.30
15	महिला और बाल विकास	स्वैच्छक क्षेत्र का सुदृढीकरण (प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र और वजीफा योजना) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बाल कल्याण परिषद, भारतीय ग्रामीण महिला संघ और अन्य सरकारी गैर-सरकारी संगठनों सहित सरकार समर्थित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	10.00	25.00	10.00	40.00
16	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण	विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दुधौला, जिला पलवल	120.00	144.90	105.50	72.81
17	खाद्य और आपूर्ति	दाल रोटी योजना जिसका नाम बदलकर अंत्योदय आहार योजना कर दिया गया	160.00	300.00	160.68	53.56
		कुल	1,071.47	2,088.79	1,187.42	56.85

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 74)

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में अधिक व्यय दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2020 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	4-राजस्व	2705-कमांड एरिया डेवलपमेंट	24.55	12.75	52	6.75	27
2.	6-वित्त	2075-विविध सामान्य सेवाएँ	149.15	149.06	100	145.52	98
3.	8-भवन एवं सड़कें	3054-सड़कें एवं पुल	1,086.52	693.82	64	551.37	51
4.		2216-आवास	38.69	20.70	54	15.29	40
5.	13-स्वास्थ्य	4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	322.58	197.41	61	190.99	59
6.	21-महिला एवं बाल विकास	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	17.92	9.24	52	1.01	6
7.	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	212.05	189.97	90	183.30	86
8.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	434.34	232.42	54	175.32	40
9.		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	672.90	349.02	52	252.52	38
10.		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	293.57	147.89	50	120.56	41
11.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	28.59	18.96	66	10.79	38
12.	33-सहकारिता	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	67.25	64.89	96	56.46	84
13.		2425-सहकारिता	284.72	173.00	61	4.58	2
14.	34-परिवहन	2041-वाहनों पर कर	57.54	28.88	50	20.93	36
15.	40-ऊर्जा एवं विद्युत	5425-वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	11.50	8.30	72	0.00	0
		कुल	3,701.87	2,296.31	62	1,735.39	47

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.5.1(ii); पृष्ठ 76)

स्कीमों का विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
राजस्व दत्तमत					
1.	प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.डी.पी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2202-01-001-93)	105.00	0.00	105.00	100
2.	प्राथमिक शिक्षा डी.ई.ई.ओस./बी.ई.ओस की स्थापना (फील्ड स्टाफ) (2202-01-001-95)	83.19	69.98	13.21	16
3.	सूचना प्रौद्योगिकी (2202-01-001-97-99)	4.40	3.22	1.18	27
4.	सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का रखरखाव (2202-01-053-96)	25.00	20.08	4.92	20
5.	कक्षा VI-VII तक सुविधाएं बढ़ाना (पूर्णकालिक) (2202-01-101-95)	100.00	0.00	100.00	100
6.	कक्षा I-V तक सुविधाएं बढ़ाना (पूर्णकालिक) (2202-01-101-97)	2.00	0.87	1.13	57
7.	गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान) (2202-01-102-92)	20.00	0.98	19.02	95
8.	गैर-सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों हेतु पेंशन लागू करना (2202-01-102-93)	20.00	14.83	5.17	26
9.	कक्षा I-VIII में बी.सी.-ए के छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-84)	60.00	35.10	24.90	42
10.	कक्षा I-VIII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-85)	7.00	3.52	3.48	50
11.	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99)	469.25	364.25	105.00	22
12.	प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (2202-01-112-99)	321.15	270.31	50.84	16
13.	कक्षा I से VIII में अनुसूचित जाति के लिए नकद पुरस्कार योजना (2202-01-789-98)	65.00	53.15	11.85	18
14.	कक्षा VI में एस.सी. छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना (2202-01-789-99)	3.50	1.70	1.80	51
15.	मध्याह्न भोजन स्कूलों का राष्ट्रीय कार्यक्रम (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता) (2202-01-793-98)	50.00	27.99	22.01	44
16.	सर्व शिक्षा अभियान (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता) (2202-01-793-99)	197.93	162.13	35.80	18
17.	सुगम शिक्षा - सभी स्कूलों को शिक्षक प्रदान करना (2202-01-800-91-98)	30.00	6.51	23.49	78
18.	स्वच्छ प्रांगण (2202-01-800-91-99)	20.00	5.15	14.85	74
19.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2202-01-800-93)	101.20	72.26	28.94	29
20.	माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एस.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2202-02-001-92)	30.12	0.00	30.12	100
21.	स्कूल में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन (2202-02-001-97)	74.00	52.42	21.58	29
22.	सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) स्कूल (2202-02-001-99-97)	6.00	3.26	2.74	46
23.	जिला शिक्षा अधिकारी स्थापना (फील्ड स्टाफ) (2202-02-001-99-98)	69.28	52.15	17.13	25
24.	मुख्यालय स्थापना (मुख्या.) (2202-02-001-99-99)	45.98	37.85	8.13	18
25.	राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम की स्थापना (2202-02-004-99)	13.32	9.42	3.90	29

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
राजस्व दत्तमत					
26.	सरकारी स्कूलों में विस्तार एवं बदलाव (2202-02-053-99)	188.00	57.02	130.98	70
27.	जिला स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (डी.आई.ई.टीज) (2202-02-105-92)	73.55	61.58	11.97	16
28.	झज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (2202-02-105-93)	13.00	0.00 ²	13.00	100
29.	जूनियर बेसिक प्रशिक्षण संस्थान (2202-02-105-98)	3.76	1.70	2.06	55
30.	छात्र परिवहन सुरक्षा योजना (2202-02-107-81)	10.00	4.58	5.42	54
31.	कक्षा IX-XII में बी.सी.-ए के छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-86)	40.00	19.52	20.48	51
32.	कक्षा IX-XII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-87)	6.00	2.39	3.61	60
33.	शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में मॉडल स्कूल खोलने बारे (2202-02-109-85)	54.30	28.95	25.35	47
34.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.) (2202-02-109-86)	312.40	243.96	68.44	22
35.	गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए पेंशन योजना लागू करना (2202-02-110-96)	70.00	51.64	18.36	26
36.	गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान) (2202-02-110-98)	20.00	7.84	12.16	61
37.	9वीं से 12वीं कक्षा के सभी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मासिक वजीफा (2202-02-789-96)	75.00	47.03	27.97	37
38.	9वीं से 12वीं कक्षा के अनुसूचित जाति वर्गों के लिए नकद पुरस्कार योजना (2202-02-789-97)	35.00	26.83	8.17	23
39.	9वीं और 11वीं कक्षा के अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना (2202-02-789-99)	5.00	3.76	1.24	25
40.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.) (2202-02-793-98)	100.00	80.29	19.71	20
41.	सु-संस्कार - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी.बी.पी.) (2202-02-800-97-97)	15.00	12.81	2.19	15
42.	सुगम शिक्षा - सभी विद्यालयों में शिक्षक प्रदान करना (2202-02-800-97-98)	30.00	6.67	23.33	78
43.	उच्च शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एच.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2202-03-001-96)	243.00	0.00	243.00	100
44.	मुख्यालय स्टाफ स्थापना (मुख्या.) (2202-03-001-99-99)	23.31	20.59	2.72	12
45.	सरकारी कॉलेजों और मुख्यालयों पर शिक्षक एवं पढ़ाए जाने वाले तथा सहायक स्टाफ का मानव संसाधन विकास (2202-03-105-92)	5.00	3.50	1.50	30
46.	छात्रवृत्ति (कॉलेज) (2202-03-107-98)	2.25	1.00	1.25	56
	कुल राजस्व (दत्तमत)	3,247.89	1,948.79	1,299.10	40
पूंजीगत (दत्तमत)					
1	नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के भवन का निर्माण (4202-01-202-97)	100.00	0.00	100.00	100
	कुल पूंजीगत (दत्तमत)	100.00	0.00	100.00	100

² ₹ 50,000 /- से कम

परिशिष्ट 3.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.5.1(iii); पृष्ठ 76)

पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	प्राथमिक शिक्षा डी.ई.ई.ओस/बी.ई.ओस स्थापना (फील्ड स्टाफ) (2202-01-001-95)	2017-18	84.97	64.16	20.81	24
		2018-19	96.96	69.50	27.46	28
		2019-20	83.19	69.98	13.21	16
2	सूचना प्रौद्योगिकी (2202-01-001-97-99)	2017-18	4.00	3.20	0.80	20
		2018-19	4.40	2.71	1.69	38
		2019-20	4.40	3.22	1.18	27
3	कक्षा VI-VII तक सुविधाओं का विस्तार (पूर्णकालिक) (2202-01-101-95)	2017-18	700.00	379.40	320.60	46
		2018-19	547.00	376.84	170.16	31
		2019-20	100.00	0.00	100.00	100
4	कक्षा I-V तक सुविधाओं का विस्तार (पूर्ण समय) (2202-01-101-97)	2017-18	250.00	104.18	145.82	58
		2018-19	171.00	100.13	70.87	41
		2019-20	2.00	0.87	1.13	57
5	गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान) (2202-01-102-92)	2017-18	45.00	10.63	34.37	76
		2018-19	20.00	1.38	18.62	93
		2019-20	20.00	0.98	19.02	95
6	गैर-सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों हेतु पेंशन लागू करना (2202-01-102-93)	2017-18	40.00	14.60	25.40	64
		2018-19	20.00	13.32	6.68	33
		2019-20	20.00	14.83	5.17	26
7	कक्षा I-VIII में बी.सी.ए. के छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-84)	2017-18	60.00	21.71	38.29	64
		2018-19	60.00	51.36	8.64	14
		2019-20	60.00	35.10	24.90	42
8	कक्षा I-VIII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-85)	2017-18	12.00	2.00	10.00	83
		2018-19	12.00	5.17	6.83	57
		2019-20	7.00	3.52	3.48	50
9	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99)	2017-18	741.38	452.30	289.08	39
		2018-19	741.38	432.93	308.45	42
		2019-20	469.25	364.25	105.00	22
10	कक्षा I से VIII के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नकद पुरस्कार योजना (2202-01-789-98)	2017-18	85.00	55.07	29.93	35
		2018-19	70.00	48.50	21.50	31
		2019-20	65.00	53.15	11.85	18
11	कक्षा VI के अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करना (2202-01-789-99)	2017-18	6.00	1.63	4.37	73
		2018-19	6.00	2.04	3.96	66
		2019-20	3.50	1.70	1.80	51
12	मिड-डे मील स्कूलों का राष्ट्रीय कार्यक्रम (2202-01-793-98)	2017-18	45.00	29.53	15.47	34
		2018-19	50.00	30.28	19.72	39
		2019-20	50.00	27.99	22.01	44
13	सुगम शिक्षा - सभी स्कूलों में शिक्षक प्रदान करना (2202-01-800-91-98)	2017-18	100.00	2.22	97.78	98
		2018-19	50.00	16.16	33.84	68
		2019-20	30.00	6.51	23.49	78
14	स्वच्छ प्रांगण (2202-01-800-91-99)	2017-18	30.00	0.00	30.00	100
		2018-19	30.00	6.00	24.00	80
		2019-20	20.00	5.15	14.85	74
15	कंप्यूटर साक्षरता और स्कूल में अध्ययन (2202-02-001-97)	2017-18	96.57	33.80	62.77	65
		2018-19	100.08	38.08	62.00	62
		2019-20	74.00	52.42	21.58	29
16	मुख्यालय स्थापना (मुख्या.) (2202-02-001-99-99)	2017-18	36.86	29.84	7.02	19
		2018-19	40.41	35.54	4.87	12
		2019-20	45.98	37.85	8.13	18

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
17	सरकारी स्कूलों में विस्तार एवं बदलाव (2202-02-053-99)	2017-18	28.00	16.20	11.80	42
		2018-19	73.00	61.54	11.46	16
		2019-20	188.00	57.02	130.98	70
18	खण्ड स्तर पर शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (बी.आई.ई.टी.) (2202-02-105-91)	2017-18	2.21	0.97	1.24	56
		2018-19	3.20	1.04	2.16	68
		2019-20	2.00	1.38	0.62	31
19	झज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (2202-02-105-93)	2017-18	10.17	2.79	7.38	73
		2018-19	25.00	11.33	13.67	55
		2019-20	13.00	0.00	13.00	100
20	जूनियर बेसिक प्रशिक्षण संस्थान (2202-02-105-98)	2017-18	3.27	2.21	1.06	32
		2018-19	2.92	1.97	0.95	33
		2019-20	3.76	1.70	2.06	55
21	कक्षा IX-XII में बी.सी.ए. के छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-86)	2017-18	40.00	24.41	15.59	39
		2018-19	40.00	24.90	15.10	38
		2019-20	40.00	19.52	20.48	51
22	कक्षा IX-XII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-87)	2017-18	8.00	3.44	4.56	57
		2018-19	8.00	4.27	3.73	47
		2019-20	6.00	2.39	3.61	60
23	छात्रवृत्ति (माध्यमिक विद्यालय) (2202-02-107-99)	2017-18	1.61	1.34	0.27	17
		2018-19	1.61	1.38	0.23	14
		2019-20	1.60	1.39	0.21	13
24	शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में मॉडल स्कूल खोलने बारे (2202-02-109-85)	2017-18	30.00	25.65	4.35	15
		2018-19	60.00	38.15	21.85	36
		2019-20	54.30	28.95	25.35	47
25	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.म.शि.अ.) (2202-02-109-86)	2017-18	400.00	227.14	172.86	43
		2018-19	500.00	298.00	202.00	40
		2019-20	312.40	243.96	68.44	22
26	गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए पेंशन योजना लागू करना (2202-02-110-96)	2017-18	60.00	51.35	8.65	14
		2018-19	65.00	52.33	12.67	19
		2019-20	70.00	51.64	18.36	26
27	गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान)(2202-02-110-98)	2017-18	135.00	87.63	47.37	35
		2018-19	50.00	20.82	29.18	58
		2019-20	20.00	7.84	12.16	61
28	कक्षा 9वीं से 12वीं के अनुसूचित जाति वर्गों के लिए नकद पुरस्कार योजना (2202-02-789-97)	2017-18	35.00	31.22	3.78	11
		2018-19	35.00	28.48	6.52	19
		2019-20	35.00	26.83	8.17	23
29	कक्षा 9वीं से 12वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना (2202-02-789-99)	2017-18	10.00	3.41	6.59	66
		2018-19	10.00	4.44	5.56	56
		2019-20	5.00	3.76	1.24	25
30	छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम (2202-02-800-97-96)	2017-18	2.00	1.74	0.26	13
		2018-19	2.00	1.71	0.29	15
		2019-20	2.00	1.60	0.40	20
31	सुगम शिक्षा - सभी विद्यालयों में शिक्षक प्रदान करना (2202-02-800-97-98)	2017-18	50.00	6.30	43.70	87
		2018-19	22.00	16.01	5.99	27
		2019-20	30.00	6.67	23.33	78
32	सरकारी कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल की स्थापना (2202-03-105-93)	2017-18	3.57	1.02	2.55	71
		2018-19	2.50	0.80	1.70	68
		2019-20	1.50	0.80	0.70	47
33	छात्रवृत्ति (कॉलेज) (2202-03-107-98)	2017-18	2.25	1.34	0.91	40
		2018-19	2.25	1.04	1.21	54
		2019-20	2.25	1.00	1.25	56

परिशिष्ट 3.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.5.2(ii); पृष्ठ 78)

स्कीमों का विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)					
1	स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डी.एच.एस.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2210-01-001-92)	292.95	0.00	292.95	100
2	स्वर्ण जयंती योजना का कार्यान्वयन (2210-01-110-35)	18.50	8.33	10.17	55
3	बायो चिकित्सा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वित्तीय सहायता (2210-01-110-69)	10.00	8.04	1.96	20
4	स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) को अनुदान (2210-01-192-99)	6.02	0.00	6.02	100
5	स्थापना व्यय (2210-02-101-92-98)	4.00	1.96	2.04	51
6	अनुसूचित जाति के लिए जननी सुरक्षा योजना (2210-03-789-99)	5.00	3.84	1.16	23
7	होम्योपैथिक औषधालय का निर्माण (2210-04-102-97)	5.16	3.56	1.60	31
8	श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र (2210-05-101-86)	100.00	11.93	88.07	88
9	श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र तथा आई.एस.एम. एंड आर.इंस्टीट्यूट, पंचकुला का सुदृढीकरण/सुधार (2210-05-101-89)	11.14	8.74	2.40	22
10	नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/एम.पी.एच.डब्ल्यू. पुरुष की स्थापना (2210-05-105-71)	10.00	0.61	9.39	94
11	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एम.ई.आर.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2210-05-105-72)	142.82	0.00	142.82	100
12	कल्पना चावला चिकित्सा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कुटैल की स्थापना जिसका नाम बदलकर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल कर दिया गया (2210-05-105-74)	10.00	0.50	9.50	95
13	महिलाओं के लिए बी.पी.एस. राजकीय चिकित्सा कॉलेज, खानपुर कलां, सोनीपत (2210-05-105-76-96)	13.00	10.97	2.03	16
14	कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा कॉलेज करनाल (2210-05-105-76-99)	7.00	5.30	1.70	24
15	स्थापना - कार्यालय निदेशक अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा हरियाणा (2210-05-105-83)	8.00	6.32	1.68	21
16	चिकित्सा एवं पैरा चिकित्सा स्टाफ का प्रशिक्षण (2210-06-003-93)	29.70	21.71	7.99	27
17	सार्वजनिक विश्लेषक एवं खाद्य निरीक्षक (2210-06-102-99)	7.39	5.75	1.64	22
18	खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की स्थापना (2210-06-104-45)	6.53	4.41	2.12	32
19	औषधि नियंत्रण कार्यक्रम (2210-06-104-98)	9.97	8.79	1.18	12

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
20	केराटोप्लास्टी के लिए सहायता अनुदान (2210-06-199-99)	1.50	0.00	1.50	100
21	स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर सेल की स्थापना (2210-80-004-93)	2.00	0.90	1.10	55
22	अटल जननी वाहिनी सेवा (2210-80-199-98-98)	30.00	21.00	9.00	30
23	आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (2210-80-199-99)	150.00	42.00	108.00	72
24	बाल जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व (2211-51-001-97)	9.47	6.57	2.90	31
25	जिला परिवार नियोजन ब्यूरो (2211-51-001-98)	19.00	10.89	8.11	43
26	राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो (2211-51-001-99)	5.80	3.58	2.22	38
27	ए.एन.एम. का प्रशिक्षण (2211-51-003-98)	9.35	5.83	3.52	38
28	क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केंद्र रोहतक (2211-51-003-99)	2.10	0.82	1.28	61
29	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं (2211-51-102-99)	6.50	4.71	1.79	28
30	परंपरागत गर्भ निरोधक (2211-51-200-99)	2.90	1.55	1.35	47
	कुल	935.80	208.61	727.19	78
पूंजीगत (दत्तमत)					
1	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एम.ई.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4210-03-105-86)	220.00	0.00	220.00	100
2	निर्माण कार्य एम्स, मनेठी (रेवाड़ी) (4210-03-105-87)	1.00	0.00	1.00	100
3	नलहर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-90)	5.00	0.00	5.00	100
4	बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक का निर्माण कार्य (4210-03-105-91)	60.00	15.00	45.00	75
5	भिवानी में नए राजकीय चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-93)	100.00	0.00	100.00	100
6	जींद में नए राजकीय चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-94)	30.00	5.00	25.00	83
7	बी.पी.एस. महिला चिकित्सा कॉलेज खानपुरकलां (सोनीपत) का निर्माण - भवन निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-97-98)	5.00	0.43	4.57	91
8	नलहर में मेवात चिकित्सा कॉलेज का निर्माण - भवन निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-98-97)	70.00	12.80	57.20	82
9	राज्य ड्रग नियामक प्रणाली को मजबूत बनाना (4210-04-107-99)	3.36	0.00	3.36	100
	कुल	494.36	33.23	461.13	93

परिशिष्ट 3.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.5.2(iii); पृष्ठ 79)

पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	रक्त संचालन केंद्र (2210-01-110-73)	2017-18	5.77	4.18	1.59	28
		2018-19	6.25	4.78	1.47	24
		2019-20	5.72	4.76	0.96	17
2.	जिला आयुर्वेद कार्यालयों का सुदृढीकरण - स्थापना व्यय (2210-02-101-92-98)	2017-18	4.00	1.91	2.09	52
		2018-19	4.00	2.48	1.52	38
		2019-20	4.00	1.96	2.04	51
3.	मुख्यालय में आयुष निदेशालय का सुदृढीकरण (2210-02-101-93)	2017-18	1.20	0.52	0.68	57
		2018-19	1.18	0.48	0.70	59
		2019-20	1.18	0.74	0.44	37
4.	मुख्यालय स्टाफ आयुर्वेदिक विभाग का पुनः संगठन (2210-02-101-99)	2017-18	4.06	2.85	1.21	30
		2018-19	4.34	2.81	1.53	35
		2019-20	3.96	3.18	0.78	20
5.	पी.एच.सी./सी.एच.सी. के लिए दवाओं और सामग्री की खरीद (2210-03-103-98)	2017-18	8.50	5.90	2.60	31
		2018-19	8.50	4.59	3.91	46
		2019-20	8.50	7.56	0.94	11
6.	अनुसूचित जाति के लिए जननी सुरक्षा योजना (2210-03-789-99)	2017-18	4.00	3.55	0.45	11
		2018-19	5.00	3.79	1.21	24
		2019-20	5.00	3.84	1.16	23
7.	श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र और आई.एस.एम. एंड आर. इंस्टीट्यूट, पंचकुला का सुदृढीकरण/सुधार (2210-05-101-89)	2017-18	9.88	7.08	2.80	28
		2018-19	9.52	7.86	1.66	17
		2019-20	11.14	8.74	2.40	22
8.	कल्पना चावला चिकित्सा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कुटैल की स्थापना जिसका नाम बदलकर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल कर दिया गया (2210-05-105-74)	2017-18	0.50	0.00	0.50	100
		2018-19	10.50	0.00	10.50	100
		2019-20	10.00	0.50	9.50	95
9.	बी.पी.एस. महिला राजकीय चिकित्सा कॉलेज, खानपुरकलां, सोनीपत (2210-05-105-76-96)	2017-18	10.00	8.26	1.74	17
		2018-19	13.00	8.97	4.03	31
		2019-20	13.00	10.97	2.03	16
10.	रोहतक में राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना (2210-05-105-77)	2017-18	3.20	2.82	0.38	12
		2018-19	4.00	2.16	1.84	46
		2019-20	4.00	3.40	0.60	15
11.	कार्यालय निदेशक अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा हरियाणा की स्थापना (2210-05-105-83)	2017-18	7.00	3.78	3.22	46
		2018-19	8.10	5.25	2.85	35
		2019-20	8.00	6.32	1.68	21
12.	चिकित्सा और पैरा चिकित्सा स्टाफ का प्रशिक्षण (2210-06-003-93)	2017-18	17.44	12.70	4.74	27
		2018-19	29.37	20.28	9.09	31
		2019-20	29.70	21.71	7.99	27
13.	खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की स्थापना (2210-06-104-45)	2017-18	4.70	3.63	1.07	23
		2018-19	6.43	4.58	1.85	29
		2019-20	6.53	4.41	2.12	32
14.	पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (2210-06-112-99)	2017-18	2.48	1.71	0.77	31
		2018-19	2.68	1.54	1.14	43
		2019-20	2.10	1.84	0.26	12

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
15.	स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर सेल की स्थापना (2210-80-004-93)	2017-18	3.95	1.72	2.23	56
		2018-19	2.07	1.33	0.74	36
		2019-20	2.00	0.90	1.10	55
16.	बाल जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व (2211-51-001-97)	2017-18	9.04	5.57	3.47	38
		2018-19	9.47	5.57	3.90	41
		2019-20	9.47	6.57	2.90	31
17.	जिला परिवार नियोजन ब्यूरो (2211-51-001-98)	2017-18	16.20	9.54	6.66	41
		2018-19	19.13	9.36	9.77	51
		2019-20	19.00	10.89	8.11	43
18.	राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो (2211-51-001-99)	2017-18	5.70	3.20	2.50	44
		2018-19	5.83	3.08	2.75	47
		2019-20	5.80	3.58	2.22	38
19.	ए.एन.एम. का प्रशिक्षण (2211-51-003-98)	2017-18	8.70	6.09	2.61	30
		2018-19	9.38	6.03	3.35	36
		2019-20	9.35	5.83	3.52	38
20.	क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केंद्र रोहतक (2211-51-003-99)	2017-18	1.97	1.03	0.94	48
		2018-19	2.12	1.00	1.12	53
		2019-20	2.10	0.82	1.28	61
21.	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं (2211-51-102-99)	2017-18	5.70	4.05	1.65	29
		2018-19	6.50	3.66	2.84	44
		2019-20	6.50	4.71	1.79	28
22.	परंपरागत गर्भ निरोधक (2211-51-200-99)	2017-18	5.22	2.95	2.27	43
		2018-19	4.12	1.55	2.57	62
		2019-20	2.90	1.55	1.35	47
23.	नलहर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य - (4210-03-105-90-99)	2017-18	5.00	0.00	5.00	100
		2018-19	5.00	0.00	5.00	100
		2019-20	5.00	0.00	5.00	100
24.	बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक का निर्माण कार्य - भवन निर्माण (4210-03-105-91-99)	2017-18	137.10	61.00	76.10	56
		2018-19	60.00	24.29	35.71	60
		2019-20	60.00	15.00	45.00	75
25.	भिवानी में नए राजकीय चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-93)	2017-18	118.05	0.00	118.05	100
		2018-19	108.50	1.13	107.37	99
		2019-20	100.00	0.00	100.00	100
26.	जींद में नए राजकीय चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-94)	2017-18	25.00	0.00	25.00	100
		2018-19	30.00	1.42	28.58	95
		2019-20	30.00	5.00	25.00	83
27.	बी.पी.एस. महिला चिकित्सा कॉलेज खानपुरकलां (सोनीपत) का निर्माण - भवन निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-97-98)	2017-18	30.00	0.86	29.14	97
		2018-19	97.00	2.53	94.47	97
		2019-20	5.00	0.43	4.57	91
28.	नलहर में मेवात चिकित्सा कॉलेज का निर्माण - भवन निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-98-97)	2017-18	70.00	5.45	64.55	92
		2018-19	70.00	15.38	54.62	78
		2019-20	70.00	12.80	57.20	82

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 87)

31 अगस्त 2020 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	पुलिस (2055)	2017-18	3	71.22	2	53.07	0	0.00	2	53.07
		2018-19	3	128.05	3	128.05	0	0.00	3	128.05
2	सामान्य शिक्षा (2202)	2014-15	739	1,382.54	8	1.02	0	0.00	8	1.02
		2015-16	1,063	1,542.62	33	77.23	8	72.41	25	4.82
		2016-17	1,332	1,618.88	26	48.29	5	45.55	21	2.74
		2017-18	1,385	1,656.36	22	77.19	18	46.09	4	31.10
		2018-19	866	1,560.24	866	1,560.24	854	1,336.65	12	223.59
3	तकनीकी शिक्षा (2203)	2016-17	102	227.06	3	16.50	0	0.00	3	16.50
		2017-18	90	218.18	9	36.80	4	20.15	5	16.65
		2018-19	109	252.21	109	252.21	107	251.34	2	0.87
4	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2015-16	130	124.02	25	5.31	11	4.59	14	0.72
		2016-17	56	90.69	21	8.27	3	1.47	18	6.80
		2017-18	229	73.14	17	14.34	6	1.95	11	12.39
		2018-19	544	79.62	544	79.62	534	79.58	10	0.04
5	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	1	0.30	0	0.00	1	0.30
		2018-19	3	12.73	3	12.73	0	0.00	3	12.73
6	चिकित्सा (2210)	2017-18	82	1,031.67	26	337.45	23	336.00	3	1.45
		2018-19	86	1,229.21	86	1,229.21	47	610.15	39	619.06
7	परिवार कल्याण (2211)	2018-19	18	0.56	18	0.56	17	0.52	1	0.04
8	शहरी विकास (2217)	2012-13	96	1,274.01	24	340.65	2	3.41	22	337.24
		2013-14	73	1,120.80	20	373.89	2	22.24	18	351.65
		2014-15	87	1,115.43	28	185.20	2	5.00	26	180.20
		2015-16	122	1,478.70	61	422.31	10	30.62	51	391.69
		2016-17	219	2,227.25	156	1,332.54	26	255.55	130	1,076.99
		2017-18	395	2,781.01	341	1,763.59	55	477.17	286	1,286.42
		2018-19	105	1,841.76	105	1,841.76	13	194.75	92	1,647.01
9	सूचना एवं प्रचार (2220)	2017-18	70	16.25	59	15.70	37	5.43	22	10.27
		2018-19	29	15.36	29	15.36	0	0.00	29	15.36
10	श्रम एवं रोजगार (2230)	2017-18	4	23.07	2	6.72	1	0.25	1	6.47
11	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235)	2014-15	33	43.71	2	11.53	0	0.00	2	11.53
		2015-16	355	50.55	6	3.36	0	0.00	6	3.36
		2016-17	137	4.84	2	0.12	0	0.00	2	0.12
		2017-18	38	34.20	19	14.68	0	0.00	19	14.68
		2018-19	208	87.41	208	87.41	186	70.33	22	17.08
12	फसल पालन (2401)	2018-19	14	199.46	14	199.46	0	0.00	14	199.46
13	मृदा एवं जल संरक्षण (2402)	2016-17	2	0.59	2	0.59	0	0.00	2	0.59
		2017-18	84	1.20	11	0.20	0	0.00	11	0.20
		2018-19	19	0.85	19	0.85	16	0.74	3	0.11
14	पशुपालन (2403)	2017-18	86	74.08	14	23.77	12	23.73	2	0.04
		2018-19	94	113.85	94	113.85	66	112.62	28	1.23
15	वानिकी एवं वन्यजीवन (2406)	2017-18	3	10.71	3	10.71	0	0.00	3	10.71
16	सहकारिता (2425)	2017-18	5	155.80	5	155.80	0	0.00	5	155.80
		2018-19	6	84.24	6	84.24	4	35.26	2	48.98

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
17	विशेष प्रोग्राम एवं ग्रामीण विकास (2501)	2015-16	103	64.19	4	1.10	0	0.00	4	1.10
		2016-17	87	69.16	20	47.09	0	0.00	20	47.09
		2017-18	112	135.06	55	105.83	6	2.55	49	103.28
		2018-19	123	154.60	123	154.60	48	10.46	75	144.14
18	ग्रामीण रोजगार (2505)	2014-15	165	333.36	3	1.47	1	0.31	2	1.16
		2015-16	48	285.52	11	90.80	2	78.04	9	12.76
		2016-17	7	218.78	2	119.22	0	0.00	2	119.22
		2017-18	15	211.07	15	211.07	0	0.00	15	211.07
		2018-19	9	201.78	9	201.78	1	0.00 ¹	8	201.78
19	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2515)	2009-10	68	366.26	1	10.85	0	0.00	1	10.85
		2010-11	48	267.83	9	42.83	1	2.75	8	40.08
		2011-12	222	722.40	41	137.00	0	0.00	41	137.00
		2012-13	266	882.65	39	88.02	0	0.00	39	88.02
		2013-14	249	1,263.49	76	470.52	7	101.85	69	368.67
		2014-15	3,871	1,191.66	59	230.40	2	50.50	57	179.90
		2015-16	3,845	1,261.94	102	207.80	7	55.05	95	152.75
		2016-17	4,166	2,262.96	142	456.84	8	167.49	134	289.35
		2017-18	3,652	1,127.58	102	625.75	38	420.07	64	205.68
2018-19	4,015	2,228.45	4015	2,228.45	3774	1,047.14	241	1,181.31		
20	कमांड एरिया डेवलपमेंट (2705)	2018-19	19	70.70	19	70.70	6	17.44	13	53.26
21	ग्राम एवं लघु उद्योग (2851)	2018-19	18	17.30	18	17.30	16	15.27	2	2.03
22	उद्योग (2852)	2015-16	28	31.02	1	3.69	0	0.00	1	3.69
		2016-17	36	61.70	10	16.00	2	5.54	8	10.46
		2017-18	23	126.50	6	71.89	1	10.00	5	61.89
		2018-19	25	78.49	25	78.49	14	28.67	11	49.82
23	नागर विमानन (3053)	2018-19	2	0.80	2	0.80	0	0.00	2	0.80
24	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2015-16	52	21.94	4	4.15	2	0.83	2	3.32
		2017-18	31	14.13	9	4.42	6	1.46	3	2.96
		2018-19	39	19.03	39	19.03	31	11.74	8	7.29
25	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण (3435)	2014-15	12	2.17	1	0.10	0	0.00	1	0.10
		2016-17	4	1.62	2	0.60	1	0.30	1	0.30
		2018-19	3	1.37	3	1.37	1	1.02	2	0.35
26	नागरिक आपूर्ति (3456)	2015-16	28	8.22	21	0.06	4	0.01	17	0.05
		2017-18	14	0.04	1	0.00 ²	0	0.00	1	0.00
27	अन्य प्रशासनिक सेवाएं (2070)	2018-19	5	23.72	5	23.72	2	17.32	3	6.40
28	विविध सामान्य सेवाएं (2075)	2018-19	1	0.00 ²	1	0.00	0	0.00	1	0.00
29	अन्य सामाजिक सेवाएं (2250)	2018-19	1	0.19	1	0.19	0	0.00	1	0.19
30	पर्यटन (3452)	2018-19	11	0.49	11	0.49	5	0.15	6	0.34
कुल			30,554	37,785.81	8,059	16,687.12	6,055	6,089.54	2,004	10,597.58

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना

¹ ₹ 50,000/- से कम।

² ₹ 50,000/- से कम।

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 93)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2020 तक)
1	हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2017-18	2017-18	2015-16	2018-19	एक वर्ष
2	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	2018-19 से 2022-23	2018-19	2018-19	2017-18	--	--
3	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.), पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2018-19	2015-16	2014-15	--	--
4	हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, पंचकुला	2019-20 से 2023-24	2018-19	2017-18	2016-17	--	--
5	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2020-21 से 2024-25	2018-19	2017-18	2017-18	--	--
6	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला छावनी	2018-19 से 2022-23	2017-18	2016-17	प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं	2018-19	एक वर्ष
7	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (गु.म.वि.प्रा.)	2017-18 से 2021-22	2018-19	-	-	--	--
8	हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17 से 2018-19	तीन वर्ष
9	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), भिवानी	-सम-	2018-19	2016-17	1996-97	--	--
10	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फरीदाबाद	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	--	--
11	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फतेहाबाद	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
12	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., गुरुग्राम	-सम-	2016-17	2015-16	1999-2000	2017-18 एवं 2018-19	दो वर्ष
13	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., झज्जर	-सम-	2011-12 से 2018-19	-	2011-12	-	-
14	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कैथल	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
15	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पंचकुला	-सम-	2017-18	2015-16	1999-2000	2018-19	एक वर्ष
16	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पानीपत	-सम-	2018-19	2016-17	1996-97	-	-
17	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रेवाड़ी	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2020 तक)
18	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रोहतक	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
19	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सोनीपत	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
20	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., यमुनानगर	-सम-	2018-19 (2016-17 खाता अभी भी प्रतीक्षित है)	2015-16	1996-97	2016-17	-
21	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., हिसार	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
22	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नारनौल	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
23	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सिरसा	-सम-	2017-18	2017-18	2012-13	2018-19	एक वर्ष
24	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., अंबाला	-सम-	2018-19	2016-17	2013-14	-	-
25	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., जींद	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	2017-18 एवं 2018-19	दो वर्ष
26	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., करनाल	-सम-	2018-19	2017-18	2009-10	-	-
27	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कुरुक्षेत्र	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
28	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., मेवात (नूंह)	-सम-	2017-18	2014-15	2009-10	2018-19	एक वर्ष
29	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पलवल	-सम-	2018-19	2017-18	2012-13	-	-
30	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., चरखी दादरी	-सम-	2018-19	-	-	-	नया जिला
31	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	-सम-	2018-19	2017-18	2009-10 (से आगे) अभी रखा जाना है	-	-
32	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग	-सम-	2018-19	2018-19	2017-18	-	-
33	हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़	-सम-	2018-19	-	2012-13	-	-
34	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	-सम-	-	-	-	2013-14 से 2018-19	नई इकाई। अभी तक खाते प्राप्त नहीं हुए
35	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्रा.) पंचकुला	-सम-	2018-19	-	-	-	-
36	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्रा.) गुरुग्राम	-सम-	अभी तक खाते प्राप्त नहीं हुए	-	-	2018-19	नई इकाई

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 94)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
1.	जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला कैंट	2017-18	1.03
		2018-19	10.08
2.	एस.डी. कॉलेज, अंबाला कैंट	2016-17	5.87
		2017-18	10.31
		2018-19	12.68
3.	आर्य गर्ल्स कॉलेज, अंबाला कैंट	2017-18	3.22
		2018-19	4.63
4.	डी.ए.वी. कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17	6.08
		2018-19	11.60
5.	एस.ए. जैन कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17	4.85
		2017-18	6.94
		2018-19	0.97
6.	एम.डी.एस.डी. कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17	2.23
		2017-18	2.57
		2018-19	4.00
7.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17	1.55
		2017-18	1.87
		2018-19	2.13
8.	एस.एम. लुबाना खालसा गर्ल्स कॉलेज, बरारा, अंबाला	2016-17	2.09
		2017-18	2.94
		2018-19	3.19
9.	डी.ए.वी. कॉलेज, नैनौला, अंबाला	2016-17	1.03
		2017-18	1.07
		2018-19	1.47
10.	एम.पी.एन. कॉलेज, मुलाना (अंबाला)	2016-17	2.35
		2017-18	3.17
		2018-19	3.69
11.	डी.ए.वी. कॉलेज, करनाल	2015-16	2.45
		2017-18	2.34
		2018-19	4.72
12.	डॉ. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, करनाल	2017-18	0.45
		2018-19	1.82
13.	के.वी.डी.ए.वी. महिला कॉलेज, करनाल	2016-17	3.44
		2017-18	5.10
		2018-19	6.75
14.	दयाल सिंह कॉलेज, करनाल	2016-17	6.23
		2017-18	9.08
		2018-19	9.19
15.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल	2016-17	2.36
		2017-18	1.86
		2018-19	2.62
16.	आई.बी. कॉलेज, पानीपत	2016-17	3.66
		2017-18	4.86
		2018-19	6.29

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
17.	आर्य कॉलेज, पानीपत	2016-17	4.01
		2017-18	5.86
		2018-19	6.78
18.	गांधी आदर्श कॉलेज, समालखा, पानीपत	2016-17	0.28
		2017-18	0.70
		2018-19	0.80
19.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, समालखा (पानीपत)	2016-17	1.04
		2017-18	1.44
		2018-19	2.26
20.	सी.आर. किसान कॉलेज, जींद	2016-17	3.30
		2017-18	3.62
		2018-19	5.34
21.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2016-17	2.08
		2018-19	4.23
22.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना, जींद	2016-17	1.11
		2017-18	1.35
		2018-19	1.39
23.	गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	2018-19	11.37
24.	एम.एल.एन. कॉलेज, यमुनानगर	2016-17	6.76
		2017-18	8.51
		2018-19	12.52
25.	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	2016-17	4.16
		2017-18	5.62
		2018-19	7.81
26.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, जगाधरी, यमुनानगर	2016-17	2.46
		2017-18	2.93
		2018-19	5.82
27.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जगाधरी	2018-19	2.89
28.	एम.एल.एन. कॉलेज, रादौर	2018-19	1.75
29.	डी.ए.वी. कॉलेज, सढौरा	2016-17	1.73
		2018-19	2.86
30.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2018-19	6.36
31.	आई.जी. नेशनल कॉलेज, लाडवा, कुरुक्षेत्र	2016-17	2.53
		2017-18	2.94
		2018-19	5.73
32.	भगवान परशु राम कॉलेज, कुरुक्षेत्र	2016-17	3.35
		2017-18	3.68
		2018-19	6.49
33.	एम.एन. कॉलेज, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	2016-17	2.01
		2017-18	2.82
		2018-19	5.93
34.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	2016-17	2.95
		2017-18	3.83
		2018-19	6.58
35.	डी.ए.वी. कॉलेज, पिहोवा	2016-17	3.23
		2017-18	3.70
		2018-19	6.29

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
36.	एस.एन.आर.एल. जय राम गर्ल्स कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र	2016-17	0.68
		2017-18	2.33
		2018-19	1.89
37.	आर.के.एस.डी. कॉलेज, कैथल	2016-17	5.57
		2017-18	6.57
		2018-19	8.99
38.	आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल	2016-17	1.13
		2017-18	1.26
		2018-19	0.63
39.	डी.ए.वी. कॉलेज, पुंडरी	2016-17	1.82
		2017-18	1.80
		2018-19	2.58
40.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुंडरी	2016-17	2.83
		2017-18	3.53
		2018-19	5.23
41.	बी.ए.आर. जनता कॉलेज, कौल, कैथल	2016-17	2.02
		2017-18	2.08
		2018-19	4.70
42.	डी.ए.वी. कॉलेज, चीका	2016-17	2.65
		2017-18	2.75
		2018-19	4.59
43.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान, कैथल	2016-17	2.54
		2017-18	3.53
		2018-19	5.54
44.	एम.एम.कॉलेज, फतेहाबाद	2017-18	3.28
		2018-19	5.30
45.	सी.एम.के. नेशनल गर्ल्स कॉलेज, सिरसा	2016-17	2.40
		2017-18	3.41
		2018-19	4.83
46.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2016-17	1.20
		2017-18	1.49
		2018-19	1.75
47.	एम.पी.गर्ल्स कॉलेज, डबवाली	2016-17	1.87
		2017-18	2.51
		2018-19	3.67
48.	बी.एस.के. शिक्षा कॉलेज, मंडी डबवाली	2016-17	0.58
		2017-18	0.97
		2018-19	1.25
49.	सी.आर.एम. जाट कॉलेज, हिसार	2016-17	5.29
		2017-18	6.30
		2018-19	6.84
50.	डी.एन. कॉलेज, हिसार	2016-17	4.97
		2017-18	8.38
		2018-19	9.91
51.	एफ.सी. कॉलेज फॉर विमेन, हिसार	2016-17	3.10
		2017-18	2.85
		2018-19	4.21

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
52.	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, हिसार	2016-17	1.21
		2017-18	1.51
		2018-19	1.46
53.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2016-17	1.08
		2017-18	1.22
		2018-19	1.20
54.	सी.आर.ए. कॉलेज, सोनीपत	2016-17	3.47
		2017-18	3.40
		2018-19	6.43
55.	हिंदू कॉलेज, सोनीपत	2016-17	5.21
		2017-18	6.80
56.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	2016-17	5.56
		2017-18	7.58
		2018-19	10.63
57.	टी.आर. शिक्षा कॉलेज, सोनीपत	2016-17	0.75
		2017-18	1.07
		2018-19	1.63
58.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2016-17	5.38
		2017-18	8.12
		2018-19	11.33
59.	टी.आर. गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	2016-17	1.59
		2017-18	1.73
		2018-19	2.79
60.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा, सोनीपत	2016-17	1.47
		2017-18	2.24
		2018-19	2.75
61.	वैश्य कॉलेज, भिवानी	2016-17	4.69
		2017-18	6.08
		2018-19	7.41
62.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2016-17	3.76
		2017-18	4.56
		2018-19	5.64
63.	के.एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भिवानी	2018-19	0.89
64.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. कॉलेज, चरखी दादरी	2016-17	3.97
		2017-18	5.80
		2018-19	6.11
65.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी	2017-18	1.50
		2018-19	1.32
66.	बी.एल.जे. सुईवाला कॉलेज, तोशाम	2016-17	1.80
		2017-18	2.54
		2018-19	3.83
67.	महिला महाविद्यालय, झोझू कलां, भिवानी	2016-17	0.73
		2017-18	1.02
		2018-19	1.73
68.	वाई.एम. डिग्री कॉलेज, नूंह	2016-17	0.99
		2017-18	1.72
		2018-19	2.57

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
69.	निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज, सोहना, गुरुग्राम	2016-17	1.53
		2017-18	1.72
		2018-19	2.34
70.	आर.एस.एल. शिक्षा कॉलेज, सिधरावाली, गुरुग्राम	2016-17	1.29
		2017-18	1.58
		2018-19	2.53
71.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2016-17	0.94
		2017-18	2.42
		2018-19	1.94
72.	एम.ए. महिला कॉलेज, झज्जर	2016-17	2.19
		2017-18	3.41
		2018-19	3.80
73.	जी.जी.डी.एस.डी. कॉलेज, पलवल	2016-17	3.85
		2017-18	5.86
		2018-19	8.53
74.	अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़	2016-17	2.95
		2017-18	3.87
		2018-19	6.76
75.	के.एल. मेहता डी.एन. कॉलेज फॉर विमेन, फरीदाबाद	2018-19	5.23
76.	डी.ए.वी. सेंटेंरी कॉलेज, फरीदाबाद	2016-17	2.63
		2017-18	4.31
		2018-19	5.23
77.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2016-17	1.75
		2017-18	2.98
		2018-19	5.23
78.	के.एल.पी. कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	5.58
		2017-18	8.71
		2018-19	9.49
79.	एस.पी. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	0.85
		2017-18	0.66
		2018-19	1.26
80.	अहीर कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	2.98
		2017-18	3.79
		2018-19	6.43
81.	आर.बी.एस. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	0.42
		2017-18	0.58
		2018-19	0.71
82.	आर.डी.एस. पब्लिक गर्ल्स कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	2.58
		2017-18	4.46
		2018-19	4.79
83.	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, कोसली, रेवाड़ी	2018-19	1.12
84.	ऑल इंडिया जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज, रोहतक	2016-17	10.38
		2017-18	15.17
		2018-19	16.23
85.	जी.बी. डिग्री कॉलेज, रोहतक	2016-17	1.82
		2017-18	3.25
		2018-19	3.34

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
86.	श्री एल.एन. हिंदू कॉलेज, रोहतक	2016-17	1.88
		2017-18	2.68
		2018-19	4.95
87.	वैश्य कॉलेज, रोहतक	2016-17	3.61
		2017-18	5.76
		2018-19	6.44
88.	जी.बी. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2016-17	0.63
		2018-19	2.14
89.	वैश्य शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2016-17	0.63
		2017-18	1.04
		2018-19	0.92
90.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, रोहतक	2016-17	2.84
		2017-18	3.36
		2018-19	5.85
91.	एस.जे.के. कॉलेज, कलानौर, रोहतक	2017-18	3.31
		2018-19	4.78
92.	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2016-17	1.17
		2017-18	1.81
		2018-19	2.41
93.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2016-17	3.28
		2017-18	3.54
		2018-19	5.95
कुल			966.35

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.16; पृष्ठ 95)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखों के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम ³	1988-89	-	1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।
2.	कृषि	कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.01	विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् कीटनाशकों/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	-
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2016-17	7,955.52	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2014-15	1,186.24	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
कुल				9,159.74	

³ ये स्कीमों 1986-87 (कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।